अनुक्रमणिका

जोखिम प्रबंधन --4

खंड I --4

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I के अलावा भारत के निवासियों के लिए सुविधाएं ----------------------------4

वायदा संविदा --4

वायदा संविदाओं के अलावा अन्य संविदाएं --7

कॉर्पोरेट्स के लिए जोखिम प्रबंधन नीति --10

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम की हेजिंग -------------------------10

विशेष आर्थिक क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा कमोडिटी हेजिंग--11

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं --11

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए सुविधाएं --12

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए सुविधाएं ---12

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेजिंग के लिए सुविधाएं --13

खंड II --13

प्राधिकृत व्यापारियों श्रेणी-I के लिए सुविधाएं ---13

बैंकों की आस्ति -देयताओं का प्रबंधन --13

सोने की कीमतों की हेजिंग ---14

पूंजी की हेजिंग ---14

भाग ख --15

अनिवासी बैंकों के खाते--15

सामान्य ---15

अनिवासी बैंकों के रुपया खाते --15

अनिवासी बैंकों के खातों का निधियन वित्तपोषण ---15

अन्य खातों से अंतरण --16

रुपये का विदेशी मुद्रा में रूपांतरण ---16

भुगतान करने और प्राप्त करने वाले बैंकों की जिम्मेदारियां ---16

रुपये प्रेषण की वापसी --16

विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों को ओवरड्राफ्ट/ऋण --16

विनिमय प्रतिष्ठानों के रुपया खाते --17

भाग ग --17

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन ---17

सामान्य ---17

स्थिति और अंतराल --17
अंतर-बैंक लेनदेन --17
विदेशी मुद्रा खाते/विदेशी बाजारों में निवेश --18
ऋण/ओवरड्राफ्ट --19
भाग घ --**20**
रिजर्व बैंक को रिपोर्ट--**20**
अनुबंध I --**23**
अनुबंध II --**26**
अनुबंध III --**29**
अनुबंध IV --**30**
अनुबंध V --**31**
अनुबंध VI --**32**
अनुबंध VII --**33**
अनुबंध VIII --**37**
अनुबंध IX --**40**
अनुबंध X --**41**
अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज/बाजार में हेजिंग लेनदेन करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश------------------42
परिशिष्ट --**44**

भाग-क

जोखिम प्रबंधन
खंड-।
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। को छोड़कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
वायदा संविदा

ए.1 भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति किसी अधिनियम, या उसके अंतर्गत बनाए गए अथवा जारी नियम या विनियम या निर्देश या आदेश के तहत किसी ऐसे लेनदेन के संबंध में, जिसके लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री और/या खरीद की अनुमति दी गई है, विनिमय जोखिम को कम करने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या.) बैंक के साथ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन वायदा संविदा कर सकता है;

ए. यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक दस्तावेजी साक्ष्य के सत्यापन के माध्यम से अंतर्निहित जोखिम की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है, भले ही लेन-देन चालू या पूंजी खाता से किया गया है। ऐसे दस्तावेजों पर संविदा का पूरा विवरण यथोचित प्रमाणन के तहत अंकित किया जाना चाहिए और उसकी प्रतियां सत्यापन के लिए रखी जानी चाहिए। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातकों और निर्यातकों को इस परिपत्र के पैरा A 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जोखिम की घोषणा के आधार पर वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दे सकते हैं;

बी. हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं है;

सी. हेज और उसकी अवधि की आवृति ग्राहक की पसंद पर छोड़ दी जाती है।

डी. जहां अंतर्निहित लेनदेन की सटीक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, संविदा को किसी तार्किक अनुमान के आधार पर बुक किया जाता है।

ई. जहां ऐसा अनुमोदन आवश्यक है वहाँ रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने अथवा ऋण पहचान संख्या दिए जाने के बाद ही विदेशी मुद्रा ऋण/बांड हेज के लिए पात्र होंगे;

एफ़. वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) निर्गम मूल्य को निर्धारित किए जाने के बाद हेज के लिए पात्र होंगी;

जी. खाताधारकों द्वारा वायदा बिक्री किए गए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में शेष राशि डिलीवरी के लिए निर्धारित रहेगी और ऐसे संविदा रद्द नहीं किए जाएंगे। हालाँकि, उन्हें रोल-ओवर किया जा सकता है;

एच. रुपये को भी एक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाली ऐसे सभी वायदा संविदाएं जिन्हें एक वर्ष के भीतर देय होने वाले विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को कवर करने के लिए निष्पादित किया गया है, को मुक्त रूप से रद्द और पुनः बुक किया जा सकता। निवासियों द्वारा चालू खाता लेनदेन को समयावधि की परवाह किए बगैर हेज करने के लिए निष्पादित ऐसी वायदा संविदाओं, जिन्होंने रुपये को भी एक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, को मुक्त रूप से रद्द करने अथवा फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। यह छूट पिछले प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेजों के बिना बुक किए गए वायदा संविदाओं के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित परंतु भारतीय रूपए में निष्पादित लेनदेन को हेज करने के लिए बुक किए गए वायदा संविदाओं पर भी पर लागू नहीं होगी और वहाँ मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्सपोजर को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक संशोधित प्रारूप अनुबंध-V में दिया गया है। रिपोर्ट में सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के एक्सपोजर का विवरण शामिल किया जाना है। इसके अलावा, रद्द किए जाने और पुन: बुकिंग की सुविधा की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कॉर्पोरेट ने वर्ष के दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अपेक्षित एक्सपोजर से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की हो। रद्द करने पर गैर-भारतीय रूपए वाले सभी वायदा संविदाओं को पुनः मुक्त रूप से बुक किया जा सकता है।

आई. व्यापार लेनदेन की हेजिंग के लिए संविदाओं के प्रतिस्थापन की अनुमति अधिकृत डीलर द्वारा उन परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर दी जा सकती है जिनके तहत ऐसा प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया है।

ए.2 प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातकों और निर्यातकों को एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर और पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात/निर्यात कारोबार के औसत तक या पिछले वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात कारोबार, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दे सकते हैं;

ए. वर्ष के दौरान सकल रूप से बुक किए गए और किसी भी समय बकाया वायदा संविदा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात/निर्यात कारोबार का औसत या पिछले वर्ष के वास्तविक आयात/ निर्यात कारोबार, जो भी अधिक हो, की तय सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। तय सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक संविदा सुपुर्दगी के आधार पर बुक किए जाएंगे और इन्हें रद्द नहीं किया जा सकेगा। इन सीमाओं की गणना आयात/निर्यात कारोबार के लिए अलग से की जाएगी।

बी. दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना बुक किए गए किसी भी वायदा संविदा को इस सीमा के प्रति मार्क – ऑफ किया जाएगा।

सी. आयातकों और निर्यातकों द्वारा इस सुविधा के तहत अन्य प्राधिकृत डीलर श्रेणी- I के पास बुक की गई राशि के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए।

डी. वायदा संविदा की परिपक्वता से पहले सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ग्राहक से एक घोषणापत्र लिया जा सकता है।

ई. अपनेघटकों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक के बकाया वायदा संविदाओं की अनुमति निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच के बाद दे सकते हैं:

i. ग्राहक के चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
ii. अनुबंध-VI में दिए गए प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहक के आयात/निर्यात कारोबार का उसके चार्टर्ड एकाउंटेंट/बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणन।

एफ़. निर्यातक के मामले में, उपर्युक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिदेय बिलों की राशि कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जी. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को इस सुविधा के तहत उनके ग्राहकों को प्रदान की गई और उपयोग की गई सीमाओं पर अनुबंध-IX में दिए गए प्रारूप में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम

शुक्रवार को) प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को भेजी जाए।

नोट: पैराग्राफ संख्या 2 में निर्दिष्ट सीमाएं एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर बुक किए गए वायदा संविदाओं से संबंधित हैं। जब प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के बाद वायदा संविदाएं बुक की जाती हैं, तो ये सीमाएं लागू नहीं होती हैं और ऐसी संविदाएं अंतर्निहित की सीमा तक बुक की जा सकती हैं।

ए.3: एक प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ रद्द की गई वायदा संविदा को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दूसरे प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ पुनः बुक किया जा सकता है:

i. यह परिवर्तन दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी दरों, प्राधिकृत व्यापारी बैंक, जिसके साथ संविदा मूल रूप से बुक किया गया था, के साथ बैंकिंग संबंधों की समाप्ति आदि के कारण आवश्यक हुआ है।

ii. निरसन और पुनर्बुकिंग एक साथ संविदा की परिपक्वता तिथि पर की जाती है

iii. मूल संविदा का रद्द किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस प्राधिकृत व्यापारी. बैंक की है जो संविदा की फिर से बुकिंग करता है।

ए 4

ए. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) रखने वाले निवासियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न विनिमय जोखिम को हेज करने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन ऐसे निवेशों की हेजिंग के लिए निवासियों के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कवर करने वाले संविदाओं को सुपुर्दगी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए या देय तिथि पर रोल ओवर किया जाना चाहिए और ये रद्द नहीं नहीं किए जा सकते हैं ।

बी. यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाजार मूल्य में कमी के कारण हेज आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो वह मूल परिपक्वता तक जारी रह सकता है। देय तिथि पर रोल ओवर की अनुमति उस तिथि के बाजार मूल्य की सीमा तक होगी।

ए 5.

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित किंतु भारतीय रुपये में निपटान किए गए लेनदेनों

के संबंध में निवासियों के साथ वायदा संविदा भी कर सकते हैं। ये संविदा परिपक्वता तक रखे जाएंगे और परिपक्वता तिथि पर संविदाओं को रद्द करके नकद निपटान किया जाएगा। एक बार रद्द किए गए ऐसे लेनदेन को कवर करने वाले वायदा संविदा, फिर से बुक किए जाने के योग्य नहीं हैं।

वायदा संविदाओं के अलावा अन्य संविदाएं

ए 6 ए. प्राधिकृत व्यापारी बैंक बैक-टू-बैक आधार पर अपने ग्राहकों के साथ विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्प संविदा कर सकते हैं। उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन एक ऑप्शन बुक चलाने की भी अनुमति है। वायदा संविदाओं के लिए लागू सभी दिशानिर्देश रुपया विकल्प संविदाओं पर भी लागू होते हैं। विस्तृत दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं अनुबंध -VII में दी गई हैं।

बी. भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार ली है, उसके ऋण एक्सपोजर को हेज करने और इस तरह के हेज को समाप्त करने के लिए भारत में किसी प्रा. व्या. बैंक के साथ या भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत बैंक की भारत से बाहर की शाखा या भारत में अपतटीय बैंकिंग यूनिट के साथ ब्याज दर /मुद्रा /कूपन स्वैप या विदेशी मुद्रा ऑप्शन या ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद) या वायदा दर करार (एफआरए) संविदा कर सकता है, बशर्ते कि:

i. संविदा में रुपया शामिल नहीं है

ii. विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम स्वीकृति या ऋण पहचान संख्या जारी की गई है।

iii. हेज की अनुमानित मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं है।

iv. हेज की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की बची हुई परिपक्वता से अधिक नहीं है।

इन संविदाओं को मुक्त रूप से रद्द और पुनः बुक किया जा सकता है

सी. भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास विदेशी मुद्रा या रुपये की देनदारी है, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत लंबी अवधि के एक्सपोजर को हेज करने के लिए भारत में प्रा. व्या. बैंक के साथ विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप के लिए संविदा कर सकता है:

i. किसी भी रूप में रुपये या उसके समतुल्य के अग्रिम भुगतान से संबंधित कोई स्वैप लेनदेन

नहीं किया जाएगा।

ii. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट प्रतिपक्षों की आवश्यकताओं का मिलान करके मध्यस्थ के रूप में स्वैप लेनदेन किए जा सकते हैं।

iii. जबकि प्रा. व्या. बैंकों पर ग्राहकों को उनके विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग की सुविधा के लिए स्वैप की सुविधा देने के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है, ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देयता लेने, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में आपूर्ति होती है, की सुविधा देने वाले स्वैप लेनदेन के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं,। जबकि मिलान किए गए लेन-देन किए जा सकते हैं, इन स्वैप के कारण बाजार में शुद्ध आपूर्ति के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा रखी गई है। ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा से रुपये के स्वैप को रद्द करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को कैप के भीतर शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देयता ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वैप लेनदेन के लिए निर्दिष्ट सीमा के संदर्भ में, उक्त सीमा को स्वैप के निरसन / परिपक्वता पर और परिशोधन पर, परिशोधित राशि तक बहाल किया जाएगा।

v. उपरोक्त लेन-देन यदि रद्द कर दिया जाता है, तो उसे फिर से किसी भी नाम से बुक या दर्ज नहीं किया जाएगा।

डी.

i. भारत में निवासी कोई व्यक्ति अपने व्यापार से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए भारत में प्रा. व्या. बैंक के साथ एक क्रॉस मुद्रा ऑप्शन संविदा (रुपया शामिल नहीं) कर सकता है।

- बशर्ते कि लागत प्रभावी जोखिम कम करने की रणनीतियों जैसे रेंज फॉरवर्ड, रेश्यो-रेंज फॉरवर्ड या किसी भी नाम से जाने जाने वाले किसी भी अन्य चर के संबंध में, प्रीमियम का कोई निवल अंतर्वाह नहीं होगा। इन लेनदेनों को स्वतंत्र रूप से बुक और/या रद्द किया जा सकता है।

ii. क्रॉस करेंसी ऑप्शंस को पूरी तरह से कवर करते हुए बैक-टू-बैक आधार पर लिखा जाना चाहिए। कवर लेनदेन भारत के बाहर किसी बैंक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाई या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विकल्प एक्सचेंज या भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ किया जा सकता है।

iii. क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लागू सभी दिशानिर्देश क्रॉस करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी लागू होते हैं।

iv. ऑप्शंस लिखत करने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को व्यवसाय शुरू करने से पहले मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई, 400001 से एकबारगी अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

स्पष्टीकरण

विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर भी इस उप-पैराग्राफ के तहत हेजिंग के लिए पात्र है।

टिप्पणी

रुपये को शामिल करने वाले और रुपये को शामिल न करने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में,

ए. प्रा. व्या. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित मामलों में

i. स्वैप संरचनाएं जहां प्रीमियम लागत में अंतर्निहित है

ii. लागत घटाने वाली संरचनाओं से जुड़े ऑप्शन संविदा,

- ऐसी संरचनाएं किसी भी तरह से जोखिम में वृद्धि नहीं करती हैं और
- ग्राहक द्वारा प्रीमियम की शुद्ध प्राप्ति नहीं होती है

बी. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को लीवरेज्ड स्वैप संरचना की पेशकश नहीं करनी चाहिए।

सी. प्राधिकृत डीलरों को स्वैप रूट को वहां वायदा संविदा के लिए सरोगेट बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जहां फॉरवर्ड कवर की अर्हता नहीं हैं।

कॉर्पोरेट्स के लिए जोखिम प्रबंधन नीति

ए 7: प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉर्पोरेट के निदेशक मंडल ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, लेन-देन को पूर्ण करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिएपरिचालन की आवधिक समीक्षा और लेनदेन की वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था की है। प्राधिकृत डीलरों द्वारा संबंधित कॉर्पोरेट से आवधिक समीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम की हेजिंग

ए 8

i. आयात और निर्यात व्यापार में लगे हुए या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अन्यथा अनुमोदित, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में सभी वस्तुओं के मूल्य जोखिम को हेज कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी वाणिज्यिक बैंको, कुछ न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को किसी भी वस्तु (सोने, चांदी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज / बाजार में मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं।

ii. विस्तृत दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अनुबंध X में दी गई हैं। कंपनियों/फर्मों की कमोडिटी हेजिंग के लिए प्राप्त आवेदन, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के प्रत्यायोजित प्राधिकार द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, को किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विशिष्ट सिफारिश के साथ निम्नलिखित विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक को विचारार्थ भेजा जा सकता है।

iii. प्रस्तावित हेजिंग रणनीति का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्

iv. व्यावसायिक गतिविधि और जोखिम की प्रकृति का विवरण,

बी. हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित लिखत,

सी. कमोडिटी एक्सचेंजों और दलालों के नाम, जिनके माध्यम से जोखिम को हेज करने और क्रेडिट लाइन का लाभ उठाने का प्रस्ताव है। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण

का नाम और पता भी दिया जा सकता है,

डी. एक्सपोज़र का आकार/ औसत अवधि और/या एक वर्ष में कुल टर्नओवर, साथ ही उसकी अपेक्षित चरम स्थिति और गणना का आधार।

1. प्रबंधन द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति की एक प्रति जिसमें शामिल हैं

ए. जोखिम की पहचान

बी. जोखिम माप

सी. पुनर्मूल्यांकन और/या स्थितियों की निगरानी के संबंध में दिशानिर्देशो और क्रियाविधियाँ जिनका पालन किया जाना चाहिए

डी. लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम और सीमाएं

कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

इस गतिविधि को करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के साथ एकबारगी अनुमोदन दिया जाएगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संस्थाओं द्वारा कमोडिटी हेजिंग

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) में संस्थाओं को विदेशी कमोडिटी एक्सचेंजों/बाज़ारों में निर्यात/आयात पर उनकी कमोडिटी कीमतों की हेजिंग के लिए हेजिंग लेनदेन करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी संविदा एकल(stand-alone) आधार पर की गई हो।

टिप्पणी: "स्टैंड अलोन" शब्द का अर्थ है कि जहां तक आयात/निर्यात लेनदेन का संबंध है, सेज में स्थित इकाई देश में कहीं भी अथवा सेज के भीतर अपनी मूल इकाई या सहायक इकाई के वित्तीय लेनदेन से पूर्णत: अलग होती है।

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए सुविधाएं

ए 9 ए) एफआईआई के खाते रखने वाले प्रा. व्या. बैंकों की नामित शाखाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे ग्राहकों को एक मुद्रा के रूप में रुपये के साथ फॉरवर्ड कवर प्रदान कर सकती हैं:

i. एफआईआई को किसी विशेष तिथि पर भारत में इक्विटी और/या ऋण में अपने संपूर्ण निवेश के बाजार मूल्य को हेज करने की अनुमति है। यदि प्रतिभूतियों की बिक्री के अलावा अन्य कारणों

से पोर्टफोलियो के सिकुड़ने के कारण हेज आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो वांछित होने पर हेज को मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है;

ii. ये वायदा संविदा, एक बार रद्द किए जाने के बाद फिर से बुक नहीं किए जा सकते हैं लेकिन परिपक्वता पर या उससे पहले रोलओवर किए जा सकते हैं।

iii. हेजिंग की लागत प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक प्रेषण से पूरी की जाती है;

iv. हेजिंग के लिए प्रासंगिक सभी बाहरी प्रेषण लागू करों को घटाकर हैं।

बी. कवर के लिए पात्रता एफआईआई की घोषणा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बकाया वायदा कवर अंतर्निहित जोखिम द्वारा समर्थित है, बाजार मूल्य उतार-चढ़ाव, ताजा अंतर्वाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है।

अनिवासी भारतीयों के लिए सुविधाएं

ए 10. प्राधिकृत व्यापारी बैंक हेजिंग के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं:

i. किसी भारतीय कंपनी में रखे गए शेयरों पर उसे देय लाभांश की राशि।

ii. विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) खाते या अनिवासी बाह्य रुपया (NRE) खाते में रखी गई शेष राशि। दोनों खातों में शेष राशि के प्रति एक चरण के रूप में रुपये के साथ वायदा संविदा बुक किया जा सकता है। एफसीएनआर (बी) खातों में शेष राशि के संबंध में, किसी विदेशी मुद्रा में शेष राशि को दूसरी विदेशी मुद्रा, जिसमें एफसीएनआर (बी) जमा को बनाए रखने की अनुमति है, में परिवर्तित करने के लिए क्रॉस करेंसी (रुपया शामिल नहीं) वायदा संविदा भी बुक किए जा सकते हैं।

iii. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार या उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत या विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का स्थानांतरण या जारी करना) के प्रावधानों के अनुसार और दोनों मामलों में

पोर्टफोलियो योजना के तहत किए गए निवेश की राशि उपरोक्त पैरा क 9 के परंतुक में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं

ए11. ए) एडी बैंक 1 जनवरी, 1993 से भारत में किए गए निवेशों की हेजिंग के लिए भारत के बाहर के निवासियों के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं, जो भारत में एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन है।

बी) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले भारत के बाहर के निवासियों को भी भारतीय कंपनियों में उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश पर मुद्रा जोखिम की हेजिंग करने के लिए मुद्राओं में से एक मुद्रा के रूप में रुपये को लेते हुए एडी बैंकों के साथ वायदा संविदा करने की अनुमति है।

सी) भारत के बाहर के निवासी भी भारत में अपने प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पन्न मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए एडी बैंकों के साथ वायदा बिक्री संविदा कर सकते हैं। ऐसी संविदाओं को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद बुक करने की अनुमति दी जा सकती है कि विदेशी संस्थाओं ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन (जहां लागू हो) प्राप्त कर लिया है। संविदाओं की अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके बाद संविदा को जारी रखने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होगी। यदि ये संविदा रद्द कर दिए जाते हैं, तो वे समान अंतर्वाह के लिए पुन: बुक किए जाने के पात्र नहीं होंगे और रद्द होने पर विनिमय लाभ, यदि कोई हो, विदेशी निवेशक को नहीं दिया जाएगा।

नोट:

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के लिए अनुमेय सभी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा एक बार रद्द होने के बाद, फिर से बुक किए जाने के योग्य <u>नहीं</u> हैं।

खंड II

अधिकृत डीलरों के लिए सुविधाएं श्रेणी-I

बैंकों की परिसंपत्तियों-देयताओं का प्रबंधन

ए.12. ए) एडी बैंक अपने परिसंपत्ति-देयता पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निम्नलिखित साधनों का उपयोग कर सकते हैं:

ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और वायदा दर करार (फॉरवर्ड रेट करार)।

एडी बैंक अपने क्रॉस करेंसी प्रोप्रिएटरी ट्रेडिंग पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।

बी) इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) इस संबंध में एक उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की जाती है।

(ii) हेज का मूल्य और परिपक्वता अंतर्निहित से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) कोई भी स्टैंड-अलोन लेन-देन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि पोर्टफोलियो के सिकुड़ने के कारण कोई हेज आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति रहित हो जाता है, तो इसे मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है और नियमित अंतराल पर मार्क टू मार्केट किया जाना चाहिए।

(iv) इन लेन-देनों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाहों को आय और व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है और जहां भी लागू होता है, विनिमय स्थिति के रूप में गणना की जाती है।

सोने की कीमतों की हेजिंग

ए 13. ए) स्वर्ण जमा योजना को संचालित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक, मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विदेशों में उपलब्ध एक्सचेंज-ट्रेडेड और ओवर-द-काउंटर हेजिंग उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, विकल्पों से जुड़े उत्पादों का उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रीमियम की कोई शुद्ध प्राप्ति, या तो प्रत्यक्ष या निहित न हो। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (अंतर-बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थिति सहित) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जिन बैंकों को भारत में वायदा सोने के संविदा करने की अनुमति दी गई है उन्हें ऊपर बताए गए तरीके से विदेशों में हेजिंग करके अपने मूल्य जोखिम को कवर करने की भी अनुमति है।

बी) प्राधिकृत बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उनके साथ सोने में अंतर्निहित बिक्री, खरीद और ऋण लेन-देन के संबंध में अपने घटकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, आभूषण निर्माताओं, ट्रेडिंग हाउस आदि) के साथ वायदा संविदा (संविदाएं) करने की अनुमति है।

पूंजी (कैपिटल) की हेजिंग

ए 14 ए) विदेशी बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने द्वारा भारतीय बही-खातों में धारित संपूर्ण टियर I पूंजी को हेज कर सकते हैं:

i) वायदा संविदा एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर इसे रोल ओवर किया जा सकता है। रद्द किए गए हेज की पुनर्बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी;

(ii) स्थानीय विनियामक और सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में पूंजीगत निधियां उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हेजिंग से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा निधियों को नोस्ट्रो खातों में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि हर समय भारत में बैंकों के साथ स्वैप किया जाना चाहिए।

(बी) विदेशी बैंकों को हमारे बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग (डीबीओडी) के परिपत्र सं IBS. बीसी.65/23.10.015/2001-02 दिनांक 14 फरवरी, 2002 के अनुसार अपनी टियर II पूंजी को हर समय भारतीय रुपये में स्वैप करके प्रधान कार्यालय उधार के रूप में अधीनस्थ ऋण के रूप में हेज करने की अनुमति है।

भाग बी

अनिवासी बैंकों के खाते

सामान्य

बी 1. (i) अनिवासी बैंक के खाते में जमा करना अनिवासी व्यक्तियों को भुगतान करने की एक अनुमत विधि है और इसलिए यह विदेशी मुद्रा में अंतरण पर लागू विनियमों के अधीन है।

(ii) अनिवासी बैंक के खाते में डेबिट करना वास्तव में विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण (इनवार्ड रिमिटेंस) है।

अनिवासी बैंकों के रुपये खाते

बी 2. प्राधिकृत डीलर रिज़र्व बैंक के पूर्व संदर्भ के बिना अपनी विदेशी शाखाओं या कारोबार प्रतिनिधि (कॉरेस्पोंडेंट) के नाम पर रुपये खाते (गैर-ब्याज वाले) खोल/बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपये खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता है।

अनिवासी बैंकों के खातों का निधियन

बी 3. (i) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I भारत में अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधियां निर्धारित करने के लिए अपने विदेशी कारोबार प्रतिनिधियों (कॉरेस्पोंडेंट) /शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

(ii) खातों में लेन-देनों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक रुपये के संबंध में सट्टा न लगाएं। ऐसी किसी भी घटना को रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए।

नोट:

निधियन के लिए रुपये के मुकाबले विदेशी मुद्राओं की अग्रिम खरीद या बिक्री निषिद्ध है। अनिवासी बैंकों को दो-तरफ़ा उद्धरणों की पेशकश भी निषिद्ध है।

अन्य खातों से स्थानांतरण

बी 4. एक ही बैंक या विभिन्न बैंकों के खातों के बीच धन के हस्तांतरण की स्वतंत्र रूप से अनुमति है।

विदेशी मुद्राओं में रुपये का रूपांतरण

बी 5. अनिवासी बैंकों के रुपये के खातों में रखी शेष राशि को मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे सभी लेनदेन फॉर्म ए 2 में दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित रिटर्न के तहत खाते से संबंधित डेबिट फॉर्म ए 3 में होना चाहिए।

भुगतान और प्राप्तकर्ता बैंकों की जिम्मेदारियां

बी 6. खातों में क्रेडिट के मामले में भुगतान करने वाले बैंकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और जैसा भी मामला हो, फॉर्म ए 1 /ए 2 में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

रुपया विप्रेषण की वापसी

बी 7. आवक विप्रेषणों को रद्द करने या वापस करने के अनुरोधों का अनुपालन इस बात को संतुष्ट करने के पश्चात कि धनवासपसी प्रतिपूरक लेनदेन के रूप में नहीं की जा रही है, रिज़र्व बैंक के संदर्भ के बिना किया जा सकता है।

ओवरड्राफ्ट/विदेशी शाखाओं/संवाददाताओं को ऋण

बी 8. (i) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I अपनी विदेशी शाखाओं/संवाददाताओं को सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी राशि के अस्थायी अधि -आहरण (ओवरड्रॉल) की अनुमति दे सकते हैं जों कुल मिलाकर 500 लाख रुपए से अधिक नहींहै।। यह सीमा भारत में प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I की सभी शाखाओं के बही-खातों में सभी विदेशी शाखाओं और कारोबार प्रतिनिधियों के विरुद्ध बकाया राशि पर लागू होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के निधियन को स्थगित करने के लिए नहीं किया

जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है, तो महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को इसके कारण बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए कोई व्यवस्था हो तो इस तरह की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

(ii) विदेशी बैंकों को उपर्युक्त (i) से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा प्रदान करने के इच्छुक प्राधिकृत डीलरों को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

एक्सचेंज हाउस के रुपया खाते

बी 9. भारत में निजी विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सचेंज हाउस के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए <u>रिज़र्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता</u> होती है। व्यापार लेनदेन के वित्तपोषण के लिए एक्सचेंज हाउसों के माध्यम से प्रेषण की अनुमति 2,00,000 रुपये प्रति लेनदेन तक है।

भाग सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन

सामान्य

सी 1. प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के निदेशक मंडल को एक उपयुक्त नीति बनानी चाहिए और विभिन्न ट्रेजरी कार्यों के लिए उपयुक्त सीमाएं तय करनी चाहिए।

स्थिति और अंतराल

सी 2. निवल एक दिवसीय खुली विनिमय स्थिति (<u>अनुलग्नक-I</u>) और कुल अंतर सीमाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

अंतर-बैंक लेनदेन

सी 3. पैराग्राफ C.1 और C.2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I मुक्त रूप से निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं:

ए) भारत में प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के साथ:

(i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा खरीदना/बेचना/ स्वैप करना।

(ii) विदेशी मुद्रा में जमाराशियां रखना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

बी) विदेशी बैंकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों के साथ

(i) ग्राहक लेनदेन को कवर करने या अपनी स्थिति के समायोजन के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री/अदला-बदली करना,

(ii) विदेशी बाजारों में व्यापारिक स्थिति आरंभ करना।

नोट:

ए. अनिवासी बैंकों के खातों का निधियन - कृपया पैराग्राफ बी.3 देखें।

बी. अंतर-बैंक बाजार में बिक्री के लिए फॉर्म ए 2 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेन आर रिटर्न में रिज़र्व बैंक को सूचित किए जाएंगे।

विदेशी मुद्रा खाते/विदेशी बाजारों में निवेश

सी4. (i) विदेशी मुद्रा खातों में अंतर्वाह मुख्यतः ग्राहक से संबंधित लेन-देनों, स्वैप सौदों, जमाओं, उधारों आदि से उत्पन्न होता है। प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I विदेशी मुद्राओं में शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित स्तरों तक शेष राशि बनाए रख सकते हैं। वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतराल सीमाओं के अनुपालन के अधीन अपनी विदेशी शाखाओं/कारोबार प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से इन खातों में अधिशेष का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह का निवेश विदेशी मुद्रा बाजार लिखतों और/या विदेशी राज्य द्वारा जारी और कम से कम स्टैंडर्ड एंड पुअर/फिच आईबीसीए द्वारा AA (-) के रूप में या मूडीज द्वारा Aa3 रेट किए गए एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले ऋण लिखतों में किया जा सकता है। किसी भी विदेशी राज्य के मुद्रा बाजार लिखतों के अलावा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के उद्देश्य से, बैंक बोर्ड जहां भी आवश्यक हो, देश की रेटिंग और देश-वार सीमाएं अलग-अलग निर्धारित कर सकता है।

नोट: इस खंड के प्रयोजन हेतु, 'मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट' में कोई भी ऋण लिखत शामिल होगा, जिसका जीवन काल खरीद की तारीख को एक वर्ष से अधिक नहीं है।

(iii) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों का विदेशी बाजारों में दीर्घावधि निश्चित आय प्रतिभूतियों में भी इस शर्त के अधीन निवेश कर सकते हैं कि निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अंतर्निहित एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता से अधिक न हो।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेष दर्शाने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

ए) निवासी संघटकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा रुपये की कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के लिए विवेकपूर्ण/ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और ऋण निगरानी के प्रचलित दिशानिर्देशों के अधीन ऋण प्रदान करना।

(बी) विदेशों में पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों, जिनमें कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी किसी निवासी कंपनी के पास है, को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, जो रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन है।

(v) प्राधिकृत डीलर, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार असंगत नामे / जमा (डेबिट/क्रेडिट) प्रविष्टियों को बट्टे खाते/अदावाकृत (अनक्लेम्ड) शेष खातों में अंतरित कर सकते हैं।

ऋण/ओवरड्राफ्ट

सी 5.. ए) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I की समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधारों की सभी श्रेणियां (नीचे (ग) में दिए गए उधारों को छोड़कर), जिसमें मौजूदा विदेशी वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं और कारोबार प्रतिनिधियों से ऋण/ओवरड्राफ्ट और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किए गए) शामिल हैं, उनकी अबाधित टियर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत या 10 मिलियन अमरीकी डालर,जो भी अधिक हो (या इसके समकक्ष) से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में अपनी सभी शाखाओं / संवाददाताओं से प्राप्त कुल राशि पर लागू होती है और इसमें घरेलू स्वर्ण ऋणों के निधियन के लिए सोने में विदेशी उधार भी शामिल है (देखें DBOD circular No. IBD.BC. 33/23.67.001/2005-06 दिनांक 5 सितंबर, 2005)। यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक आहरण को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है, तो अनुबंध-VIII के प्रारूप के अनुसार, एक रिपोर्ट, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर

प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें सीमा पार कर ली गई थी। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद हो तो इस तरह की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

बी) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाए और रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना चुकाया जाए । इस नियम के अपवाद के रूप में, एडी बैंकों को दिनांक 31 जनवरी, 2003 के आईईसीडी परिपत्र संख्या 12/04.02.02/2002-03 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने हेतु स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से ऊपर कोई भी नया उधार केवल रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किया जाएगा। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

सी) निम्नलिखित उधार अबाधित टियर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत या 10 मिलियन अमरीकी डालर (या इसके समकक्ष), जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर रहेंगे:

i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर दिनांक 1 जुलाई 2003 के आईईसीडी मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण के उद्देश्य से अधिकृत डीलरों श्रेणी-I द्वारा विदेशी उधार।

ii) विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारत में उनकी शाखाओं के साथ टियर II पूंजी के रूप में रखा गया अधीनस्थ ऋण

(iii) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से कोई अन्य विदेशी उधार

(डी) ऋणों/ओवरड्राफ्टों पर ब्याज रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना (करोंको घटाकर) भेजा जा सकता है।

भाग डी

रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें

डी I) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को विदेशी मुद्रा कारोबार के दैनिक विवरण को फॉर्म एफटीडी में प्रस्तुत करने चाहिए और अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार फॉर्म जीपीबी में अंतराल, स्थिति और नकद शेष राशि प्रस्तुत करनी चाहिए।

ii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में मासिक आधार पर नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाता में शेष राशि का विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई-400 001 को अग्रेषित करना चाहिए। आंकड़ों को प्रारूप में दिए गए नंबरों / पतों पर फैक्स या ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किया जाए।

iii) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I को पैरा ए 6 (बी) और (डी) के संदर्भ में निवासियों द्वारा किए गए क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव लेनदेन पर आंकड़ों को समेकित करना चाहिए और अनुलग्नक-IV में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट (जून और दिसंबर) प्रस्तुत करना चाहिए।

(iv) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I को अनुलग्नक-V में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर का ब्यौरा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई, 400001 को अग्रेषित करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि रिपोर्ट में सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के एक्सपोजर का विवरण शामिल किया जाना है।

(v) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी श्रेणियों के अंतर्गत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधारों की सूचना मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को अनुलग्नक-VIII के प्रारूप के अनुसार देनी होगी। रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

(vi) प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I को अनुलग्नक-IX के प्रारूप के अनुसार, पिछले निष्पादन आधार पर अग्रिम संविदाओं की बुकिंग की सुविधा के अंतर्गत अपने घटकों को दी गई और उनके द्वारा उपयोग की गई सीमाओं के बारे में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार तक) प्रस्तुत करना होता है। रिपोर्ट को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 और fedcofmd@rbi.org.in पर ई-मेल द्वारा अग्रेषित किया जा सकता है ताकि अगले महीने की 10 तारीख तक विभाग तक पहुंच सके।

vii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारिताओं का विवरण देते हुए दो प्रतियों में बीएएल फॉर्म में एक विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रधान/प्रधान कार्यालय स्थित है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से सात कैलेण्डर दिनों के भीतर पहूंच सके।

(viii) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लिए गए कवर के संबंध में एफआईआई/फंड का नाम, कवर की पात्र राशि और वास्तविक लिए गए कवर को दर्शाने वाला एक मासिक विवरण अगले महीने की 10 तारीख से पहले मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत तक रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें आबंटित कोड नंबर के साथ अपने उन सभी कार्यालयों/शाखाओं की अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करनी चाहिए, जो अनिवासी बैंकों के रुपया खातों का रख-रखाव कर रहे हैं। सूची अगले वर्ष 15 जनवरी से पहले रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय सांख्यिकी प्रभाग, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यालयों/शाखाओं को रिज़र्व बैंक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसके अंदर वे स्थित हैं।

अनुलग्नक I

(पैराग्राफ C.2 देखें)

प्राधिकृत डीलरों की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमाओं के लिए दिशानिर्देश

श्रेणी-I

1. कवरेज

भारत में निगमित बैंकों के लिए, प्रबंधन द्वारा निर्धारित एक्सपोजर सीमा उनकी विदेशी शाखाओं और ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं के लिए समग्र होनी चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए, सीमा केवल भारत में उनकी शाखाओं को कवर करेगी।

2. पूंजी

पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार टियर 1 पूंजी को संदर्भित करती है।

3. एकल मुद्रा में निवल खुली स्थिति (नेट ओपन पोजीशन) की गणना

खुली स्थिति को पहले प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए अलग से मापा जाना चाहिए। एक मुद्रा में खुली स्थिति (a) नेट स्पॉट स्थिति, (b) नेट फारवर्ड स्थिति और (c) नेट ऑप्शन स्थिति का योग है।

ए) नेट स्पॉट स्थिति

नेट स्पॉट स्थिति विदेशी मुद्रा तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर है। इसमें सभी अर्जित आय/व्यय शामिल होने चाहिए।

बी) नेट फॉरवर्ड स्थिति

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के परिणामस्वरूप भविष्य में प्राप्त होने वाली सभी राशियों में से भुगतान की जाने वाली सभी राशियों kओ घटाकर प्राप्त होने वाली निवल राशियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन लेनदेन, जिन्हें बैंक के बही-खातों में ऑफ-बैलेंस शीट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) स्पॉट लेनदेन जिनका अभी तक निपटान नहीं hउआ है;

(ii) वायदा लेनदेन;

(iii) विदेशी मुद्राओं में दर्शाई गई गारंटी और इसी तरह की प्रतिबद्धताएं जिन्हें कॉल किया जाना निश्चित है;

(iv) मुद्रा वायदा के संबंध में प्राप्त/भुगतान की जाने वाली राशियों में से मुद्रा वायदा/स्वैप पर मूलधन को घटाकर प्राप्त होने वाली राशि।

सी) ऑप्शन स्थिति

ऑप्शन स्थिति "डेल्टा-समकक्ष" स्पॉट मुद्रा स्थिति है जैसा कि अधिकृत डीलर के विकल्प जोखिम प्रबंधन प्रणाली में परिलक्षित होता है, और इसमें कोई भी डेल्टा हेज शामिल है जिसे पहले से ही 3 (ए) या 3 (बी) (आई) और (ii) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

4. समग्र निवल खुली स्थिति की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैंक के मिश्रित दीर्घ और लघु स्थिति में निहित जोखिमों का माप शामिल है। यह निर्णय लिया गया है कि समग्र निवल खुली स्थिति की गणना के लिए "शॉर्टहैंड विधि" को अपनाया जाए, जिसे इस कार्य हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, बैंक समग्र निवल खुली स्थिति की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

(i) प्रत्येक मुद्रा में निवल खुली स्थिति की गणना करें (उक्त पैराग्राफ 3)।

(ii) सोने में निवल खुली स्थिति की गणना कीजिए।

(iii) मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक/FEDAI दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं और सोने में निवल स्थिति को रुपये में परिवर्तित करना। वायदा विनिमय संविदाओं सहित सभी व्युत्पन्न लेन-देनों की सूचना वर्तमान मूल्य (पीवी) समायोजन के आधार पर दी जानी चाहिए।

(iv) सभी निवल शॉर्ट स्थितियों के योग पर पहुंचें।

(v) सभी निवल लॉन्ग स्थितियों के योग पर पहुंचें।

कुल मिलाकर निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति वह है जो(iv) या (v) से अधिक है। उपर्युक्त निवल विदेशी मुद्रा स्थिति को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

नोट: अधिकृत डीलर बैंकों को शुद्ध खुली स्थिति की गणना के उद्देश्य से पीवी समायोजन के आधार पर वायदा विनिमय संविदाओं सहित सभी व्युत्पन्न लेनदेन को रिपोर्ट करना चाहिए। छूट कारकों पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित उपज वक्रों का उपयोग किया जा सकता है:

i) 12 महीने तक की अवधि के साथ वायदा विनिमयसंविदाओं के संबंध में: लागू LIBOR दर।

ii) 12 महीने से अधिक और 13 महीने तक की अवधि वाले वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में:

11 महीने और 12 महीने के लिए लिबोर दरों पर विचार किया जा सकता है; 13 महीने की लिबोर दर पर पहुंचने के लिए इन 2 महीनों के बीच के अंतर को 12 महीने के लिए लिबोर दर में जोड़ा जा सकता है।

iii) 13 महीने से अधिक अवधि वाले वायदा विनिमय संविदाओं और अन्य सभी व्युत्पन्न संविदाओं के संबंध में:

निवल वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए बट्टे के कारकों की गणना वर्तमान स्वैप वक्र के आधार पर की जा सकती है जैसा कि रॉयटर्स स्क्रीन के पृष्ठ आईसीएपी 1 और एसडब्ल्यूएक्यू पर लगातार आधार पर दिखाई देता है (यानी एक निर्दिष्ट समय को अपनाना जिस पर इसे निर्धारित किया जाना है)। अपनाई जाने वाली पद्धति / दर का चयन /कट-ऑफ समय आदि संबंधित बैंक के प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों का एक हिस्सा होना चाहिए।

5. पूंजी-आवश्यकता

जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

अनुबंध II

(पैराग्राफ D(i) देखें)

विदेशी मुद्रा कारोबार डेटा की रिपोर्टिंग - एफटीडी और जीपीबी

एफटीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और प्रारूप नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I यह सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट इन दिशानिर्देशों के आधार पर ठीक से संकलित की गई है: किसी विशेष तिथि के लिए डेटा अगले कार्य दिवस के समापन तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए।

एफटीडी

1. स्पॉट-कैश और टॉम लेनदेन को 'स्पॉट' लेनदेन के तहत शामिल किया जाना है।

2. स्वैप-स्वैप लेनदेन के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 के बीच केवल विदेशी मुद्रा स्वैप की सूचना दी जानी चाहिए। दीर्घावधि स्वैप (क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्वैप लेनदेन को केवल एक बार रिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसे 'स्पॉट' या 'फॉरवर्ड' लेनदेन के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। खरीद/बिक्री स्वैप को 'स्वैप' के तहत 'खरीद' पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि बिक्री/खरीद स्वैप को 'बिक्री' पक्ष पर शामिल किया जाना चाहिए।

3. वायदा रद्द करना- व्यापारियों से खरीद के विरुद्ध वायदा संविदाओं को रद्द करने के तहत सूचित की जाने वाली राशि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 (बाजार में आपूर्ति को बढ़ाने) द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री संविदाओं का कुल योग होना चाहिए। रद्द किए गए वायदा संविदाओं की बिक्री पक्ष पर, रद्द किए गए वायदा खरीद संविदाओं की जोड़ को (बाजार में मांग को जोड़कर) इंगित किया जाना चाहिए।

4. 'एफसीवाई/एफसीवाई' लेनदेन- लेनदेन के दोनों चरणों को संबंधित कॉलम में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए EUR/ USD खरीद संविदा में, EUR राशि को खरीद पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए जबकि USD राशि को बिक्री पक्ष में शामिल किया जाना चाहिए।

5. आरबीआई के साथ लेनदेन को अंतर-बैंक लेनदेन में शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेन को व्यापारी लेनदेन के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष - सभी विदेशी मुद्राओं में नकद शेष और निवेश को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इस मद के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

2. निवल खुले विनिमय की स्थिति- इससे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 की करोड़ रुपये में समग्र ओवरनाइट नेट ओपन एक्सचेंज स्थिति का संकेत मिलना चाहिए। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन की गणना अनुबंध I में दिए गए निर्देशों के आधार पर की जानी चाहिए।

3. उपर्युक्त एफसीवाई/आईएनआर में से- रिपोर्ट की जाने वाली राशि की रुपये के मुकाबले स्थिति - यानी शुद्ध ओवरनाइट खुले विनिमय की स्थिति से क्रॉस करेंसी स्थिति, यदि कोई हो को घटाकर।

एफटीडी और जीपीबी विवरण के प्रारूप

एफटीडी

दिनांक.......... के विदेशी मुद्रा के दैनिक कारोबार को दर्शाने वाले विवरण

		व्यापारी			**अंतर बैंक**		
		स्पॉट, कैश, रेडी, टीटी आदि	**वायदे**	**वायदों का निरसन**	**स्पॉट**	**स्वैप**	**वायदे**
एफसीवाई/आईएनआर	से खरीद						
	को बिक्री						
एफसीवाई/एफसीवाई	से खरीद						
	को बिक्री						

<u>जीपीबी</u>

<u>...............की स्थिति के अनुसार अंतर, स्थिति और नकद शेष को दर्शाने वाला विवरण</u>

विदेशी मुद्रा शेष	:	मिलियन अमेरिकी डॉलर
(नकद शेष + सभी निवेश)		
निवल खुली विनिमय स्थिति (रुपये)	:	O/B (+)/O/S (-) INR करोड़ में
उपरोक्त एफसीवाई/INR में से	:	INR करोड़ में
रखा गया AGL (मिलियन अमरीकी डालर में)	:	रखा गया VAR (INR में)

विदेशी मुद्रा परिपक्वता में अंतर (मिलियन अमरीकी डॉलर)

I महीना	II महीने	III महीने	IV महीने	V महीने	VI महीने	VI महीने से अधिक

अनुबंध III

(पैराग्राफ डी (ii) देखें)

<u>........महीने के लिए नोस्ट्रो/वोस्ट्रो शेष का विवरण</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I का नाम और पता ....

क्र. सं.	मुद्रा	नॉस्ट्रो खाते में निवल शेष	वॉस्ट्रो खाते में निवल शेष
1	डॉलर		
2	यूरो		
3	जापानी येन		
4	पाउंड		
5	रुपया		
6	अन्य मुद्राएं (मिलियन अमरीकी डॉलर में)		

नोट: यदि ऊपर (1 से 5 पर) दिए गए प्रत्येक मद में एक महीने में 10% से अधिक अंतर होता है, तो उसका कारण संक्षेप में, फुटनोट के रूप में दिया जाए। यह विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8 वीं मंजिल, मुंबई- 400 001 के पते पर भेजा जाना चाहिए। फोन: 022- 2266 3791। फ़ैक्स- 022 2262 2993, 2266 0792. ई.मेल: deapdif@rbi.org.in/ rajmal@rbi.org.in

अनुबंध IV

([पैराग्राफ डी (iii)देखें)

<u>........को समाप्त समाप्त छमाही के लिए क्रॉस-करेंसी व्युत्पन्न लेनदेन – विवरण</u>

उत्पाद	**लेनदेन की सं.**	**कल्पित मूलधन की राशि अमरीकी डॉलर में**
ब्याज दर स्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा विकल्प		
ब्याज दर सीमा या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य उत्पाद		

अनुबंध V

(पैराग्राफ ए 1 (एच) देखें)

1 अप्रैल को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी

बैंक का नाम: ___________________

क्र. सं.	**कॉर्पोरेट का नाम**	**आयात लेनदेन**		**गैर-व्यापार भुगतान**	
		मिलियन अमरीकी डालर में समतुल्य राशि	**पहले ही हेज की गयी राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)**	**मिलियन अमरीकी डालर में समतुल्य राशि**	**पहले ही हेज की गयी राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)**
		@	#	#	#

नोट: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I को पूरे बैंक के लिए उपरोक्त डेटा को समेकित करके मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, मुंबई- 400 001 को कॉर्पोरेट-वार शेष राशि देते हुए एक्सेल प्रारूप में प्रति वर्ष 30 जून से पहले एक रिपोर्ट अग्रेषित करनी चाहिए।

@ पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर गणना की गई, बाद के बड़े परिवर्तनों, यदि कोई हो, को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए।

वास्तविकता के आधार पर।

अनुबंध VI

(पैराग्राफ A 2 (e)देखें)

<u>आयात/निर्यात कारोबार, अतिदेय इत्यादि का ब्यौरा देने वाला विवरण</u>

घटक का नाम: ________________________________

(राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	**कारोबार**		**कारोबार की तुलना में अतिदेय बिलों का प्रतिशत**		**पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर फॉरवर्ड कवर बुर्किंग की वर्तमान सीमा**	
	निर्यात	**आयात**	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**	**आयात**
2003-04						
2004-05						
2005-06						

अनुबंध VII

(पैराग्राफ ए 6 (ए) देखें)

विदेशी मुद्रा- रुपया विकल्प

एडी बैंकों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत विदेशी मुद्रा - रुपया विकल्प प्रदान करने की अनुमति है:

ए) इस उत्पाद की पेशकश उन एडी बैंकों द्वारा की जा सकती है, जिनके पास न्यूनतम सीआरएआर बैक-टू-बैक आधार पर 9 प्रतिशत है।

बी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/प्रबंधन प्रणालियां, मार्क टू मार्केट मैकेनिज्म और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले एडी बैंकों को रिज़र्व बैंक से एक बार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक ऑप्शन बुक चलाने की अनुमति दी जाएगी:

i. कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता

ii. न्यूनतम 9 प्रतिशत का सीआरएआर

iii. उचित स्तर पर निवल एनपीए (निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं)

iv. न्यूनतम निवल मालियत 200 करोड़ रुपये से कम नहीं

सी) वर्तमान के लिए, एडी बैंक केवल सादे वनीला यूरोपीय विकल्पों की पेशकश कर सकते हैं।

डी) i. ग्राहक कॉल या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं।

ii. ग्राहक लागत में कमी संरचनाओं से जुड़े पैक किए गए उत्पादों में भी प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते संरचना अंतर्निहित जोखिम को न बढ़ाए और ग्राहकों को प्रीमियम प्राप्त न हो।

iii. ग्राहकों द्वारा विकल्पों के लेखन की अनुमति नहीं है। हालांकि, शून्य लागत विकल्प संरचनाओं की अनुमति दी जा सकती है।

ई) एडी बैंक उत्पाद का उपयोग करने में रुचि रखने वाले ग्राहकों से एक वचन-पत्र प्राप्त करेंगे कि उन्होंने उत्पाद की प्रकृति और इसके अंतर्निहित जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझा है।

एफ़) एडी बैंक विकल्प प्रीमियम को रुपये में या रुपये / विदेशी मुद्रा के कल्पित मूल्य के प्रतिशत के रूप में उद्धृत कर सकते हैं।

जी) विकल्प संविदाओं का निपटान परिपक्वता पर या तो स्पॉट आधार पर सुपुर्दगी द्वारा अथवा संविदा में विनिर्दिष्ट रूप में हाजिर आधार पर रुपये में निवल नकद निपटान द्वारा किया जा सकता है। परिपक्वता से पहले लेनदेन को बंद करने के मामले में, संविदा का एक समान ऑफसेटिंग विकल्प के बाजार मूल्य के आधार पर नकद निपटान किया जा सकता है।

एच) अग्रिम संविदाओं की बुकिंग, रोल ओवर और निरसन के लिए लागू सभी शर्तें विकल्प संविदाओं पर भी लागू होंगी। पिछले प्रदर्शन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग के लिए उपलब्ध सीमा में विकल्प लेनदेन शामिल होंगे। रिज़र्व बैंक में आवेदन करने पर मामला-दर-मामला आधार पर उच्चतर सीमा की अनुमति दी जाएगी जैसा कि वायदा संविदाओं के मामले में है।

आई) एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी विशेष एक्सपोजर/ उसके हिस्से के प्रति केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

(जे) विकल्प संविदाओं का उपयोग आकस्मिक या व्युत्पन्न एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा में निविदा निविदा प्रस्तुत करने से उत्पन्न एक्सपोजर को छोड़कर) को हेज करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

2. <u>उपयोगकर्ता</u>

ए) जिन ग्राहकों के पास समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी की अनुसूची I और II के अनुसार वास्तविक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, वे विकल्प संविदाएं करने के लिए पात्र हैं।

बी) एडी बैंक ट्रेडिंग बुक और बैलेंस शीट एक्सपोजर की हेजिंग करने के उद्देश्य से उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं।

3. जोखिम प्रबंधन और विनियामक मुद्दे

ए) ऑप्शन बुक चलाने और बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के इच्छुक एडी बैंक सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/एएलसीओ) के अनुमोदन की प्रति और इस संबंध में रखे गए विस्तृत ज्ञापन की एक प्रति के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे एडी बैंक जो उत्पाद का बैक-टू-बैक आधार पर उपयोग करना चाहते हैं, वे इस संबंध में उपर्युक्त प्रभाग को सूचित करते रहें।

बी) बाजार निर्माताओं को स्पॉट बाजारों में अपने विकल्प पोर्टफोलियो के 'डेल्टा' को हेज करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य 'ग्रीक्स' को अंतर-बैंक बाजार में विकल्प लेनदेन के माध्यम से हेज किया जा सकता है। विकल्प संविदा का 'डेल्टा' एक दिवसीय खुली स्थिति का हिस्सा होगा। जहां तक 'एजीएल' के प्रयोजनार्थ विकल्प संविदाओं को शामिल करने का संबंध है, प्रत्येक परिपक्वता के अंत में 'डेल्टा समतुल्य' को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक बकाया विकल्प संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता बकेट के तहत समूहीकृत करने के उद्देश्य के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता है। (विकल्प संविदाओं से संबंधित विभिन्न 'ग्रीक्स' की परिभाषा के लिए, कृपया विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्पों पर आरबीआई तकनीकी समिति की रिपोर्ट देखें)।

सी) वर्तमान में, एडी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमाओं के भीतर विकल्प पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें।

डी) ऑप्शन बुक चलाने वाले एडी बैंकों को विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्पों में बाजार निर्माण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए सादा वनीला क्रॉस मुद्रा विकल्प पोसिशन लेने की अनुमति है।

ई) बैंकों को दैनिक आधार पर पोर्टफोलियो के बाज़ार दर पर अंकन के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। फेडाई दैनिक रूप से निहित अस्थिरता अनुमानों का एक मैट्रिक्स प्रकाशित करेगा, जिसका उपयोग बाजार प्रतिभागी अपने पोर्टफोलियो को बाजार दर पर अंकित करने के लिए कर सकते हैं।

4. <u>रिपोर्टिंग</u>

एडी बैंकों को संलग्न प्रारूपों के अनुसार किए गए लेनदेन की साप्ताहिक आधार पर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना अपेक्षित है।

5. <u>लेखांकन</u>

विकल्प संविदाओं के लिए लेखांकन ढांचा फेडाई के दिनांक 29 मई, 2003 के परिपत्र सं.एस.पी.एल.-24/एफसी-रुपया विकल्प/2003 के अनुसार होगा।

6. <u>दस्तावेजीकरण</u>

बाजार प्रतिभागी केवल आईएसडीए दस्तावेजीकरण का पालन करेंगे।

7. <u>पूँजी अपेक्षाएं</u>

पूंजीगत अपेक्षाएं हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

8. बैंकों को चाहिए कि ऑप्शन लेनदेन शुरू करने से पहले, वे अपने कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करें और आवश्यक जोखिम प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था करें। वे उत्पाद के साथ अपने घटकों को परिचित कराने के लिए भी कदम उठाएं।

आरबीआई को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट:

[………………………….. को समाप्त सप्ताह के लिए]

I. विकल्प लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार की तारीख	ग्राहक/सी-पार्टी का नाम	नोशनल	ऑप्शन कॉल/पुट	स्ट्राइक	परिपक्वता	प्रीमियम	उद्देश्य*

*बैलेंस शीट, ट्रेडिंग या ग्राहक संबंधित का उल्लेख करें।

II ऑप्शन स्थिति रिपोर्ट

मुद्रा जोड़ी	नोशनल बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो गामा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
	कॉल	पुट			
यूएसडी-आईएनआर	यूएसडी	यूएसडी	यूएसडी		
ईयूआर-आईएनआर	ईयूआर	ईयूआर	ईयूआर		
जेपीवाई-आईएनआर	जेपीवाई	जेपीवाई	जेपीवाई		

(इसी तरह अन्य मुद्रा-युग्मों के लिए)

कुल नेट ओपन ऑप्शन स्थिति (आईएनआर):

4 अप्रैल, 2003 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92 में निर्धारित पद्धति का उपयोग करके कुल नेट ओपन ऑप्शन स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

III पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में बदलाव

आईएनआर टर्म में स्पॉट ($-एप्रिसिएशन) में 0.25% बदलाव के लिए यूएसडी-आईएनआर डेल्टा में बदलाव =

आईएनआर टर्म में स्पॉट ($-डेप्रिसिएशन) में 0.25% बदलाव के लिए यूएसडी-आईएनआर डेल्टा में बदलाव =

इसी तरह, आईएनआर टर्म में अन्य मुद्रा-युग्मों जैसे ईयूआर-आईएनआर, जेपीवाई-आईएनआर इत्यादि के लिए, स्पॉट में 0.25% बदलाव (एफ़सीवाई एप्रिसिएशन & डेप्रिसिएशन अलग से) के लिए डेल्टा में बदलाव।

IV स्ट्राइक कंशनट्रेशन रिपोर्ट

	परिपक्वता बकेट					
स्ट्राइक मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	> 3 माह
<45.00						
45.00-45.25						
45.26-45.50						
45.51-45.75						
45.76-46.00						
46.01-46.25						
46.26-46.50						
46.51-46.75						
46.76-47.00						
47.01-47.25						
47.26-47.50						
47.51-47.75						
47.76-48.00						
>48.00						

यह रिपोर्ट मौजूदा स्पॉट स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे में तैयार की जानी चाहिए। संचयी स्थितियाँ दी जाएँ।

सभी राशियाँ मिलियन अमरीकी डालर में। जब बैंक के पास ऑप्शन का स्वामित्व हो, तो राशि को धनात्मक रूप में दिखाया जाए। जब बैंक ने ऑप्शन बेच दिया हो, तो राशि को ऋणात्मक रूप में दिखाया जाए। **सभी रिपोर्टें मार्केट-मेकर्स द्वारा ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in को भेजी जाए। प्रत्येक शुक्रवार को रिपोर्ट तैयार की जाए और अगले सोमवार तक भेज दी जाए।**

अनुलग्नक VIII

(पैराग्राफ सी 5 देखें)

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार- .... की स्थितिनुसार रिपोर्ट
राशि (समतुल्य यूएसडी* मिलियन में)

बैंक (स्विफ्ट कोड)	पिछली तिमाही की समाप्ति पर अक्षत टियर-I पूंजी	जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक डीलिंग पर 1 जुलाई, 2006 के मास्टर परिपत्र के पैरा सी.5 (ए) के अनुसार उधारियाँ	रुपया संसाधन की पुनःपूर्ति की ऊपरी सीमा से अतिरिक्त उधारियाँ @	बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ	विदेश मुद्रा में निर्यात ऋण पर दिनांक 1 जुलाई, 2003 के आईईसीडी मास्टर परिपत्र और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2 (iv) के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं के तहत उधारियाँ	
					(ए) विदेशी मुद्रा में पोत-लदान पूर्व क्रेडिट के विस्तार के लिए ऋण-व्यवस्था (पीसीएफसी)	(बी) विदेशी निर्यात बिल योजना की पुनर्भुनाई के विस्तार के लिए बैंकर्स स्वीकार सुविधा (बीएएफ) / विदेशी ऋण (ईबीआर)
	ए	1	2	3	4ए	4बी

टियर-II पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण	कोई अन्य श्रेणी (कृपया यहाँ इस प्रकोष्ठ में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	ए पर टियर-I पूंजी के प्रतिशत रूप में व्यक्त श्रेणियों (1+2+3+6) के अंतर्गत उधारियाँ	ए पर टियर-I पूंजी के प्रतिशत रूप में व्यक्त श्रेणियों (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधारियाँ
5	6	7	8	9	10

टिप्पणी:

*1. रिपोर्ट की तारीख को आरबीआई संदर्भ दर और न्यूयॉर्क समाप्ति दर को रूपांतरण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।

@ 2. दिनांक 24 मार्च, 2004 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 81 के पैरा 4 द्वारा सुविधा बंद की गई।

अनुलग्नक IX

(पैराग्राफ ए 2 (जी) देखें)

पिछले प्रदर्शन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुर्किंग-

..... की स्थितिनुसार रिपोर्ट

बैंक का नाम-

(यूएसडी में)

माह के दौरान कुल स्वीकृत सीमा	संचयी स्वीकृत सीमा	बुक की गई संविदाओं की राशि	उपयोग की गई राशि (दस्तावेज़ की डिलीवरी द्वारा)	रद्द की गई वायदा संविदाओं की राशि
1	2	3	4	5

टिप्पणियाँ:

1. समग्र रूप से बैंक की स्थिति दर्शाई जाएगी।

2. कॉलम 2, 3, 4 और 5 में राशियों की एक वर्ष की संचयी स्थिति हो। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि को आगे बढ़ाया जाए और अगले वर्ष की सीमा में डाला जाए और इसलिए अगले वर्ष के लिए पात्र सीमा की गणना करते समय इसे शामिल किया जाए [पैरा ए 2 (ए)]।

अनुलग्नक X

(पैराग्राफ ए.8(i) देखें)

अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों/बाजारों में पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक एडी **किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों** को अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) के संबंध में कीमत जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं। नीचे दिए गए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाले और यह सुविधा अपने ग्राहकों को देने में रुचि रखने वाले वाणिज्यिक बैंक एडी, अपने आवेदन अनुमोदन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, मुंबई-400001 को अग्रेषित कर सकते हैं।

एडी द्वारा पूरा किए जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड:

i) कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता

ii) 9% का न्यूनतम सीआरएआर

iii) निवल एनपीए उचित स्तर पर हो लेकिन निवल अग्रिमों के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

iv) न्यूनतम निवल मालियत 300 करोड़ रुपये।

रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने **के बाद ही** प्राधिकृत व्यापारी कॉर्पोरेट्स को अनुमति दे सकते हैं। यदि आवश्यक समझे जाने पर, बैंक को दी गई अनुमति वापस लेने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है।

2. कॉरपोरेट्स को हेज लेनदेन करने की अनुमति देने से पहले, अधिकृत डीलर उन्हें यह दर्शाते हुए एक बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहेगा कि (i) बोर्ड इन लेनदेनों में शामिल जोखिमों को (ii) आगामी वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट द्वारा किए जाने वाले हेज लेन-देन की प्रकृति समझता है, और (iii) कंपनी हेज ट्रांजैक्शन केवल वहीं करेगी, जहां इसे कीमत जोखिम हो। प्राधिकृत व्यापारी किसी भी हेज लेनदेन को करने से मना कर सकते हैं यदि उसे इस लेन-देन की वास्तविकता के बारे में संदेह हो या कॉर्पोरेट को कीमत जोखिम नहीं हो। वे शर्तें जिनके अधीन एडी हेजिंग की अनुमति देंगे और लेन-देन की निगरानी के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों/बाजारों में घरेलू बिक्री/खरीद लेन-देन पर कीमत जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति नहीं है, भले ही पण्य की घरेलू कीमत उसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत से संबद्ध हो। हेजिंग गतिविधि शुरू करने से पहले ग्राहकों को आवश्यक सलाह दी जाए।

3. जिन बैंकों को कमोडिटी हेजिंग स्वीकृत करने की अनुमति दी गई है, वे हर साल 31 मार्च की स्थितिनुसार, एक महीने के अंदर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार डिवीजन, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुंबई - 400001 को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इसमें उन कारपोरेटों के नाम दिये जाएँ, जिन्हें कमोडिटी हेजिंग की अनुमति दी गई है और उन पण्यों के नाम दिये जाएँ, जिन्हें हेज किया गया।

4. प्रत्यायोजित प्राधिकारी के तहत कवर नहीं किए जाने वाले हेज लेनदेन करने के लिए ग्राहकों के आवेदन, अनुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I द्वारा रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाना जारी रखा जाए।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में हेजिंग लेनदेन करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश

1. हेज लेनदेन का फोकस जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल ऑफ़सेट हेज की अनुमति है।

2. सभी मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि जोखिम प्रोफ़ाइल वारंट करती है, तो कॉर्पोरेट/फर्म भी ओटीसी संविदाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह कॉर्पोरेट/फर्म के लिए ऑप्शंस रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करने के लिए भी खुला है, जिसमें ऑप्शंस की एक साथ खरीद-बिक्री शामिल हो, और जब तक प्रत्यक्ष या निहित प्रीमियम का कोई निवल अंतर्वाह नहीं हो। कारपोरेट/फर्म को किसी ऑप्शंस स्थिति को उसी ब्रोकर से एक विपरीत लेनदेन के साथ रद्द करने की अनुमति है।

3. कॉर्पोरेट/फर्म को अधिकृत डीलर श्रेणी-I के पास एक विशेष खाता खोलना चाहिए। हेजिंग से जुड़े सभी भुगतान/प्राप्ति अधिकृत डीलर श्रेणी- I द्वारा इस खाते के माध्यम से की जाए और इसे आगे के संदर्भ के लिए रिज़र्व बैंक को नहीं भेजा जाए।

4. कॉर्पोरेट के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित ब्रोकर की माह-समाप्ति रिपोर्ट की एक प्रति, बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑफ-शोर पोजीशन भौतिक एक्सपोजरों द्वारा समर्थित हैं/थे।

5. ब्रोकरों द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरणों, विशेष रूप से बुक किए गए लेन-देन और बंद की गई संविदाओं और निपटान में प्राप्य/देय राशि दर्शाने वाले विवरणों की जांच कॉर्पोरेट/फर्म द्वारा की जाए। असमाशोधित मदों के लिए ब्रोकर के साथ फॉलो-अप किया जाए और तीन महीने के भीतर इनका निपटान किया जाए।

6. कॉरपोरेट/फर्म द्वारा कोई मध्यस्थता/सट्टा लेनदेन नहीं किया जाए। इस संबंध में लेन-देन की निगरानी की जिम्मेदारी अधिकृत डीलर श्रेणी-I पर होगी।

7. कंपनी/फर्म, सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अधिकृत डीलर श्रेणी-I को प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र में यह पुष्टि की जाए कि निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है और कॉर्पोरेट/फर्म के आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक हैं। इन प्रमाणपत्रों को आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड में रखा जाए।

परिशिष्ट

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1	अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी	3 मई 2000
2	अधिसूचना संख्या फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्टूबर 2003
3	अधिसूचना संख्या फेमा 104/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
4	अधिसूचना संख्या फेमा 105/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
5	अधिसूचना संख्या फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
6	अधिसूचना संख्या फेमा 143/2005-आरबी	19 दिसंबर 2005
7	अधिसूचना संख्या फेमा 147/2006-आरबी	16 मार्च 2006
8	अधिसूचना संख्या फेमा 148/2006-आरबी	16 मार्च 2006
1	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92	4 अप्रैल 2003
2	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 93	5 अप्रैल 2003
3	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 98	29 अप्रैल 2003
4	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 108	21 जून 2003
5	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28	17 अक्टूबर 2003
6	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 46	9 दिसंबर 2003
7	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	12 दिसंबर 2003
8	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 81	24 मार्च 2004
9	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 26	1 नवंबर 2004
10	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	23 जून 2005
11	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 03	23 जुलाई 2005
12	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25	6 मार्च 2006
13	ईसी.सीओ.एफएमडी सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी 2003
14	ईसी.सीओ.एफएमडी सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई, 2003
15	ईसी.सीओ.एफएमडी सं.345/02.03.129(नीति)/2003-04	5 नवंबर, 2003
16	एफई.सीओ.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी, 2005
17	एफई.सीओ.एफएमडी 2/02.03.129(नीति)/2005-06	7 नवम्बर 2005
18	एफई.सीओ.एफएमडी 21921/02.03.75/2005-06	17 अप्रैल 2006

इस परिपत्र को फेमा,1999 और उसके तहत जारी नियमों/विनियमों/निर्देशों/आदेशों/अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए।